राजस्व सुधार अभियान में 50 सालों से बंद रास्ता खुला

- अतिक्रमण हटाने पर ग्रामीणों ने जताया प्रशासन का आभार
- विद्यालय की जमीन पर से पुराने अतिक्रमण को हटाकर साफ कराया गया

खैरथल में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया।

खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के नवाचार कर जिले में चलाए गए राजस्व सुधार अभियान के तहत हरसोली के अंतर्गत ग्राम गुरगचका में वर्षों से बंद पडा एक सार्वजनिक रास्ता जेसीबी चलवाकर खुलवाया गया वहीं किशनगढ बास क्षेत्र के गांव घमूकड के राजकीय विद्यालय की जमीन पर से पुराने अतिक्रमण को हटाकर साफ कराया गया।

शुक्रवार को तहसीलदार हरसोली वीरेंद्र कुमार व तहसीलदार किशनगढ बास नरेंद्र भाटिया के नेतृत्व में राजस्व टीम ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया। मौके पर पटवारी हल्का अधिकारियों की टीम उपस्थिति रही। ग्राम गुरगचका के खसरा नंबर 537, 594, 599 और721/356(गैर-मुमकिन रास्ता) पिछले 50-60 वर्षों से अतिक्रमण के कारण बंद पड़ा था। किशनगढ़ बास तहसील के ग्राम धमूकड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई ने ग्रामीणों को राहत दी। तहसीलदार नरेंद्र कुमार भाटिया एवं राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर यह कार्यवाही की। राजस्व टीम ने प्रधानाचार्य, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सचिन, और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में विद्यालय भूमि, खसरा नंबर 1057 और 1068 का सीमांकन किया। मौके पर सीमाओं के निशान पुन: स्थापित कर सभी को इसकी जानकारी दी गई । जेसीबी की सहायता से विद्यालय भूमि के चारों ओर नींव खुदाई का कार्य भी तुरंत शुरू कराया गया। यह कदम न केवल विद्यालय की सुरक्षा के लिए है, बल्कि भविष्य में अतिक्रमण की संभावनाओं को भी समाप्त करेगा।

इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और जिला प्रशासन की तत्परता की सराहना की। प्रधानाचार्य और पंचायत प्रतिनिधि ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम विद्यालय और बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है ।

ग्राम गुरगचका में वर्षों से बंद पड़ा एक सार्वजनिक रास्ता खुलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड गई। आमजन ने इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर किशोर कुमार और उनके राजस्व सुधार अभियान 2024 की सराहना की। ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह रास्ता उनकी कई समस्याओं का समाधान करेगा ।

खैरथल-तिजारा जिला राजस्व सुधार अभियान 2024 के तहत इस तरह के नवाचार से प्रशासन की सक्रियता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया गया है। ग्रामीणों ने इस पहल को एक बडा कदम बताया है।

तहसीलदार नरेंद्र कुमार भाटिया एवं नायाब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार ने सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की शिकायत तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन आमजन के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है।

अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा

कोटपूतली। विगत मंगलवार 26 नवम्बर को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कर कोटपूतली शहर में विभिन्न स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में जानकारी लेते हुये उन पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर शुक्रवार से नगर परिषद प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से आम रास्तों में किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। कोटपूतली शहर में सडक सीमा में किये गये अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन सख्त दिखाई दिया। अभियान शुरू होते ही व्यापारियों में हडकम्प मच गया। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर कार्यवाही का हल्का विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासन के आगे उनका विरोध काम नहीं आया।

वरिष्ठ नागरिकों ने पी.एम. के नाम सौंपा ज्ञापन

वरिष्ठ नागरिकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

मालपुरा, (निस) बांग्लादेश मे हिन्दुओं व अन्य जाति के अल्पसंख्यको पर हो रहै अत्याचार की कडे शब्दो निन्दा करते हुये प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम प्रतिनिधि नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ नागरिक चन्द्रमोहन उपाध्याय, मोतीलाल कारवाल,अमर चन्द मैन्दवास्या, चम्पालाल जैन, आरएल दीपक,बालूराम गुर्जर, दिनेश पाण्डेय,चन्द्रप्रकाश शर्मा,सियाराम शर्मा, राधेश्याम शर्मा, गोविन्दनारायण विजय, ज्ञानेन्द्रदत्त शर्मा सहित बडी संख्या मे जुटे वरिष्ठ नागरिको ने अवगत करवाया कि बांग्लादेश मे हिन्दु व अन्य अल्पसंख्यको को समाप्त करने की साजिश के तहत कट्टर पंथियो द्वारा की जा रही हत्या,लूट व हिंसा के बावजूद बांग्लादेश सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। सरकारी सेवा मे नियुक्त अधिकारियो व कर्मचारियो को अपनी नौकरी से त्याग पत्र देने के लिये बाध्य किया जा रहा है। जिन्हे सरकार का संरक्षण मिल रहा है।

बैंक स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन

कोटपूतली। डाबला रोड स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में महिला नीति 2021 के अन्तर्गत बैंक स्टार्टअप कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्राचार्य ने बताया कि वर्तमान समय में बैंकिंग हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। जहां हम किसी भी व्यवसाय के लिए ऋण एवं अन्य सुविधायें ले सकते है और जीवन में आगे बढ़ सकते है। मुख्य वक्ता असिस्टेंट मैनेजर जयंत मनोहर ने छात्राओं को बैंक स्टार्टअप के बारे में विस्तार से बताया कि इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, क्रेडिट गारण्टी फण्ड, ट्रस्ट फॉर माईको एण्ड स्मॉल इन्टरप्राइजेज, बैंक ऋण सुविधाओं आदि योजनाओं का लाभ ले सकते है। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। असिस्टेंट मैनेजर सुमित यादव ने बताया कि स्टार्टअप इण्डिया योजना के तहत भारत सरकार द्वारा देश के उद्यमियों को किफायती व्यवसाय वित्त प्रदान करने के लिये एक पहल है। जिसमें महिला उद्यमियों एवं एस.सीध्एस.टी समुदाय को 10 लाख रूपये से लेकर 01 करोड़ रूपये की सब्सीडी प्रदान की जाती है।

नव आगंतुक विद्यार्थियों का स्वागत

राजगढ़ कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. के एल मीणा की अध्यक्षता में नव आगंतुक छात्र-छात्राओं के स्वागत में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया।

राजगढ़। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. के एल मीणा की अध्यक्षता में नव आगंतुक छात्र-छात्राओं के स्वागत में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें उमंग एवं जोश के साथ रोचक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कृषि महाविद्यालय माचाड़ी एवं राजकीय महाविद्यालय की ओर सेपीसी मीणा ने स्वागत भाषण के माध्यम से जानकारी दी। नृत्य प्रतियोगिता में यातीका सैनी एवं मुस्कान पंचोली प्रथम, हरनीत कौर, सानवी एवं नेहा शर्मा द्वितीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में हरिओम रेबारी मिस्टर फ्रेशर एवं नेहा शर्मा मिस फ्रेशर चुनी गई। कार्यक्रम में आंचल मीणा, अंशु महलावत, राकेश मीणा, एवं भगत सिंह सहित अन्य ने स्काउट, संकाय सदस्य एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों सहित अन्य का धन्यवाद ज्ञापित किया।

लाभार्थियों का होगा सत्यापन

कोटपूतली। जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देशानुसार मिशन पालनहार मित्र अभियान के अन्तर्गत जिले के समस्त पालनहार योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रमेश दहमीवाल ने बताया कि पालनहार योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये जिले के वार्षिक भौतिक सत्यापन से शेष रहे बालक-बालिकाओं का वार्षिक भौतिक सत्यापन शत-प्रतिशत करवाया जायेगा। भौतिक सत्यापन कराने वाले लाभार्थियों को ही सत्र के लिये योजना का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस अभियान के लिये जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक इसके सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

सड़क चार माह से क्षतिग्रस्त

सांभरझील, (निसं)। छोटा बाजार से देवयानी तीर्थ स्थल तक जाने वाले मार्ग पर 4 माह पहले खोदी गई सड़क के बारे में पालिका प्रशासन आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाया है। 4 माह बीत जाने के बाद भी सड़क को ठीक करने के बारे में पालिका कोई फैसला नहीं ले रहा है जिससे आमजन को परेशानी उठानी पड रही है। बता दें कि इस मामले में पार्षदों की तरफ से उपखंड अधिकारी को भी लिखित में शिकायत दी है।

छात्रों व अभिभावकों ने किया रास्ता रोककर प्रदर्शन

सड़क खराब होने पर विद्यार्थियों व अभिभावकों ने विरोध किया।

टोंक। नवाबपुरा से अमीनपुरा तक जाने वाली सडक जो अमीनपुर गांव के पास कीचड से खराब हो गई, जिसको लेकर बच्चों सहित सभी अभिभावक ने सांकेतिक रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। नवाबपुरा गांव के बच्चे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमीनपुरा खण्ड टोंक स्कूल में जाते हैं, जो एक से डेढ़ फीट तक पानी से विद्यार्थी गुजरते हैं, जहां पानी निकासी का ठीक से प्रबंधक नहीं है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने बच्चों के साथ सांकेतिक रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक रास्ते को ठीक से नहीं किया गया तो रास्ता जाम करके धरना दिया जाएगा, ग्रामीणो ने बताया कि गांव के बच्चे ही नही तालबिपुरा के बच्चे भी इस रास्ते से यहां होकर जाते हैं, किचड के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, प्रशासन इस जिम्मेदारी से मुंह मोड रहे हैं।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सार्वजनिक सूचना नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास) (आयोजना- प्रथम प्रकोष्ठ)
क्र.- एफ 13( )उपा.लेण्ड/नगिज./2024 /2188 दि. 29.11.2024
विषय— जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) एवं राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 के नियम 4 (1) भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2021 के अन्तर्गत आपत्तियां व सुझाव करने हेतु विज्ञप्ति ।
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज में निम्न वर्णित भूखण्ड धारक में कॉलम 4 में वर्णित मास्टर प्लान विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन), आवासीय में निर्धारित भू-उपयोग का कॉलम 5 में वर्णित मिश्रित भू-उपयोग हेतु आवेदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्र. सं.	आवेदक का नाम, भूखण्ड संख्या योजना का नाम	आवासीय आवंटित भू.का क्षेत्र	मास्टर विकास योजना 2025 (जयपुर रीजन) में निर्धारित उपयोग	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1	भू.सं. 3, फतेहटीबा आदेश नगर, किशन हॉस्पिटिटी एल.एल.पी श्री अभिमन्यु गोलछा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा	4680 व.ग.	मिश्रित	मिश्रित

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को उपरोक्त के संबंध में कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो इस सूचना के जारी होने की तिथि से 7 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति/ सुझाव कारणों सहित नगर निगम जयपुर, हैरिटेज के आयोजना शाखा में प्रस्तुत कर सकते है।
(हंसा मीणा) उपायुक्त(लैण्ड) नगर निगम जयपुर, हैरिटेज ।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अफसर अली पुत्र स्वर्गीय श्री असगर, निवासी मकान नंबर 3393, मूसे खां की गली, मोहल्ला सिलावटान, जयपुर की विधिक पत्नि श्रीमती आस्मां बानो पत्नि अफसर अली पुत्री जाफर अली, निवासी-मकान नंबर 3405, मूसे खां की गली, मोहल्ला सिलावटान, चौकडी रामचन्द्रजी की, जयपुर है एवं मेरे अभिभाष्य द्वारा आज तक अपनी पत्नि को तलाक नहीं दिया है। यदि कोई व्यक्ति मेरे अभिभाष्य की पत्नि से विवाह करता है तो वह विवाह गैर कानूनी व अमान्य होगा एवं मेरे अभिभाष्य द्वारा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले समस्त हर्जे खर्च व परिणामों की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। अत सूचित रहे।
जयपुर (मोहम्मद सादिक) एडवोकेट
दिनांक मो.नं. 9352545576, 9351545576

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन
नगर निगम हैरिटेज जयपुर
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmw,jmc@gmail.com Ph. No. 0141-2329953
क्रमांक:-F51() Dept.Comm./H.M.A.Z./2024-25/1428
सार्वजनिक सूचना दिनांक:- 29.11.24
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशा पत्नि श्री कैलाश चन्द निवासी- 62, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर का नाम हस्तान्तरण स्वयं के नाम करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय नगर निगम जयपुर के क्रमांक 393 दिनांक 19.12.2007 द्वारा श्रीमती फूली देवी पत्नि श्री किशन लाल के नाम से भूखण्ड संख्या 62, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर का कच्ची बस्ती के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया था। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ सरकारी/ गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी। उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन
नगर निगम हैरिटेज जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-6 जयपुर महानगर द्वितीय
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरूद्ध पवन कुमार सैनी वगै
वाद -बाबत वसुली वाद सं. 393/19(83/20)
बनाम -(1)पवन कुमार सैनी पुत्र सुवा लाल सैनी
(2)सुवा लाल सैनी पुत्र भौरी लाल सैनी
स्थान- uu-66, कैलगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर
वादी ने आपके विरूद्ध वाद बाबत वसूली के लिये वाद पंजियत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 04 माह 12 सन् 2024 को दिन में 10.00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे एवं दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा । यह आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम6 जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 स्थान जयपुर महानगर प्रथम
राजेश मोटर्स ऑटो प्रा.लि. विरूद्ध शक्ति सिंह केडिया व अन्य
वाद बाबत वसूली
वाद सं. 27सन् 2024
नाम शक्ति सिंह केडिया पुत्र ना मालूम जाति...स्थान ई-1 ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा रोड, जयपुर
वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 14 माह 12 सन् 2024 को दिन में 10.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। नकल सलग्न नहीं है।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह आज दिनांक 25 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश क्रम-3
जयपुर महानगर, प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 392/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री प्रखर सिंह करोल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह करोल निवासी 73/296, शिप्रा पथ, टैगोर अस्पताल के पास, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत सेवा पथ कार्यालय पता फ्लेट नं. 809 घर आंगन, हाज्यावाला, सांगानेर जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 05.02.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 388/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री भंवर लाल जैन निवासी मकान नं. 1077, बरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत ह्यूमन ग्लोरी फाउण्डेशन कार्यालय पता-1077, बरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 02.02.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

आम सूचना
मैं महादेवी मीना पत्नि मुन्ना मीना निवासी भउआपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मेरे पति के नाम एक वाहन महेन्द्रा बोलोरो पावर प्लस जेड एल एक्स एम एच पंजीयन सं. आर.जे.-34-यू4099 है। मेरे मुन्ना मीना का स्वर्गवास हो चुका है मैं उनकी धर्मपत्नि हूँ। मेरे पति के नाम वाहन को अब मैं अपने नाम परिवहन विभाग से करवाना चाहती हूँ। अगर उक्त वाहन पर अन्य दीगर व्यक्ति को किसी प्रकार का उज्र करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस के अन्तराल परिवहन कार्यालय करौली में दर्ज करा सकता है। म्याद निकलने बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नही मानी जावेगी।

नाम परिवर्तन
मैं संदीप कुमार जांगिड़ पुत्र श्री उम्मेद कुमार जांगिड जाती जांगिड निवासी पुनियां कॉलोनी चूरू राज. का निवासी हूं। मेरी पुत्री परिधि जांगिड का विद्यालय में भूलवंश परिधि तथा मेरा नाम संदीप जांगिड लिखा गया था जो कि अब सही करवा रहा हूं तथा आधार कार्ड में सही करवा लिया । अब भविष्य में व स्कूल में भी संशोधित नाम परिधि जांगिड पिता संदीप कुमार जांगिड़ माता कविता जांगिड़ के नाम से जाना व पहचाना जावें।

मैने अपना नाम मोहम्मद खालिद कारीगर से बदलकर मो. खालिद कारीगर पुत्र मोहम्मद असलम कारीगर रख लिया भविष्य मे मुझे इसी नाम से जाना जावे। फ्लैट 209 दूसरा फ्लोर परम एलीगेंट खसरा न. 143/1, 143/2 वैशाली एलिंग्स योजना गाँधीपथ वैस्ट लालरपूरा जयपुर राजस्थान 302021

I have changed my name from Nayab Bano (in Educational Documents, Nayab) to Nayab Rahim W/o Mohammed Abdul Rahim for all purpose. Resi.: Bade Devre Ke Pass, Amer (Amber), Jaipur

I kirani devi legally wedded spouse of army no 2860368A Ex RFN Late kalas singh S/O saman singh R/O 93 nehru nagar ajmer road jaipur That have changed my name from KIRANI DEVI (DOB 13/3/1961) is wrong entered in service record TO KIRAN DEVI (DOB 15/9/1959) vide affidavit dated 28 nov 24 before district notary Jaipur

खोया पाया
मेरे योजना भास्कर एन्क्लैव-एफ, ग्राम चौसला-तहसील चाकसू, जयपुर के भूखंड सं. 12 के मूल कागजात गुम हो गए हैं, मिलने पर सूचित करें। अखिलेश कुमार गुप्ता, बी एच-211(पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088.मो. 9811117007

मेरा भूखंड प्लाट संख्या 783 ए कृषि नगर टोल टैक्स,सांगानेर जयपुर का आवंटन पत्र विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का मूल आवंटी का नाम नारायण सिंह पुत्र सवाई सिंह हनुतिया जिला टोंक मूल इकरारनामा जो कि इंदिरा जांगिड़ पत्नी सीताराम निवासी टोंक का गोवर्धन नगर में गुम गया है मिलने पर सूचित करें 9166911848

मेरे मकान नंबर 68/330 प्रताप नगर के मूल कागजात का बैग जिसमें पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, दो चेक खाली, फोटो, आईडी- जो की प्रेम प्रकाश पुत्र नवल किशोर यादव के नाम से है मिलने पर सूचित करें 9887707775, 8239994449 (प्रेम प्रकाश)

मेरे फ्लैट संख्या 117/19 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र कहीं खो गया है। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बारों पर सूचित करें। मो.9414312138

मेरे फ्लैट संख्या 117/19 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं डिक्लरेशन पत्र कहीं खो गया है। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो.9414312138

श्रीमती सोनिया सिंह पत्नी श्री मुकेश कुमार सिंह पुत्री श्री ललित मेहरा भूखंड संख्या डी-40, सैग्विन ऑफिसर्स कैंपस, का मूल लीजडीड (पट्टा विलेख) साइट प्लान व स्टांप खो गए है कृपया मिलने पर सूचित करें मोबाइल 9783393027

मेरे प्लाट नं -132 जे.डी.ए. की योजना भांकरोटा सिरसी रोड जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन पत्र, साईट प्लान और मुख्तयारनामा आम कही हो गये है मिलने पर सूचित करे - पवन कुमार मीणा मो.नं. 7357726342

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-4/2024/डी-4000
दिनांक-21.11.2024
सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति
सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री दीपक पुत्र श्री चेतन कुमार द्वारा पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विष्णुपुरी-सी के भूखण्ड संख्या सी-43-ए का पट्टा जारी करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व मे पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा भूखण्ड संख्या सी-43-ए, क्षेत्रफल 79.86 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण आवंटन पत्र श्री रामदेव बलाई पुत्र श्री भुराराम बलाई के पक्ष मे दिनांक 26.08.1992 को जारी किया गया। आवंटन के पीछे श्रीमती अजीत कँवर पत्नी श्री सज्जन सिंह के पक्ष में दिनांक 08.08.1995 को जारी किया गया। श्री अजीत कंवर पत्नी श्री सज्जन द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.04.2012 के द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी श्री चेतन कुमार को कर दिया गया। श्रीमती चन्द्रकान्ता की मृत्यु दिनांक 05.10.2015 को हो चुकी है। चन्द्रकान्ता की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसों में श्री चेतन कुमार पुत्र श्री पन्नालाल, श्रीमती करिश्मा महावर पत्नी श्री अमित महावर द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 14.10.2024 के आधार पर उक्त भूखण्ड पर अपने हक का त्याग श्री दीपक पुत्र श्री चेतन कुमार के पक्ष में कर दिया गया।
उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियम अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर

सूचना
मै अरूणा खड़गावत पत्नी डॉ. महेन्द्र खड़गावत पुत्री श्री हनुमान प्रसाद सैनी निवासी -जयपुर राज. की निवासी हूं जो कि सशपथ बयान करती हूं कि-
1. यह कि हमारी एक पारिवारिक सम्पत्ति 800 वर्गगज रीगस रोड, चौमूं खसरा नं1698/2/1 में स्थित है जो मेरे स्व. दादाजी देवीदत्त पुत्र श्री रामलाल के नाम से है।
2. यह कि उक्त अचल सम्पत्ति में मैं किसी प्रकार का कोई हिस्सा नही चाहती हूं तथा भविष्य में भी मेरे द्वारा उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं मांगा जावेगा तथा ना ही मेरे वारिसान द्वारा उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा मांगा जावेगा। इस बाबत मेरे या मेरे वारिसान द्वारा उक्त संपत्ति बाबत भविष्य में कोई दावा किसी भी न्यायालय आदि में पेश नहीं किया जावेगा।
3. यह कि आज दिनांक तक मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उक्त सम्पत्ति को लेकर कोई दावा पे